[भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 79/2017– सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. (अ) - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद् द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की उन प्रत्येक अधिसूचनाओं में, जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में दी गई हैं, आगे भी संशोधन करती है तथा ये संशोधन उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट तरीके से किए जाएंगे, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	**अधिसूचना सं. तथा तारीख**	**संशोधन**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	16/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [*सा.का.नि. सं.* 252(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में,- (क) प्रारम्भिक पैराग्राफ में, उपवाक्य (ii) के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा,यथा : "(iii) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा (9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर। बशर्ते कि समेकित कर और माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर से यह छूट 31 मार्च, 2018 तक उपलब्ध रहेगी"; (ख) स्पष्टीकरण ग (II) में, " हालांकि, निम्नलिखित श्रेणी की आपूर्तियों को भी निर्यात दायित्व को पूरा करने में गिना जाएगा" शब्दों के स्थान पर " हालांकि ऐसे

		प्राधिकार पत्र में जिसमें कि समेकित कर एवं माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर से छूट प्राप्त नहीं है, निम्नलिखित श्रेणी की आपूर्तियों को भी निर्यात दायित्व को पूरा करने में गिना जाएगा'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2.	18/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [*सा.का.नि. सं.* 254 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैराग्राफ में,- (क) शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक ''उन पर धारा 3 की उपधारा (1), (3) और (5) के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क, धारा 8ख के अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क और धारा 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क से'' के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक ''उन पर धारा 3 की उपधारा (1), (3) और (5) के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क, धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा (9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर, धारा 8ख के अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क, धारा 9 के अंतर्गत लगाई जाने वाली प्रतिकारी शुल्क और धारा 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क से छूट'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ख) शर्त (viii) में, परंतुक के पश्चात निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : बशर्ते और भी कि उपर्युक्त किन्हीं भी बातों के बावजूद उक्त प्राधिकार पत्रों में जहां कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की उपधारा (7) और उपधारा (9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और माल एंव सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर से छूट प्राप्त कर ली गई है वहां निर्यात दायित्व को केवल भौतिक निर्यात के माध्यम से पूरा किया जाएगा। (ग) शर्त (xi) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा : (xii) कि उन पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ

		अधिनियम,1975 की धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा (9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर से दी जाने वाले छूट पूर्व आयात की शर्त के अधीन रहेगी। (xiii) कि उन पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 की धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा (9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति कर से छूट 31 मार्च, 2018 तक उपलब्ध रहेगी।”
3.	20/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [*सा.का.नि. सं.* 256 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015 के द्‌वारा]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैराग्राफ में,- (क) शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक ''उन पर धारा 3 की उपधारा (1), (3) और (5) के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क, धारा 8ख के अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क, और धारा 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क से'' के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक ''उन पर धारा 3 की उपधारा (1), (3) और (5) के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क, धारा 3 की उपधारा (7) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर, धारा 3 की उपधारा (9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर, धारा 8ख के अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क, धारा 9 के अंतर्गत लगाई जाने वाली प्रतिकारी शुल्क और धारा 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण प्रतिपाटन शुल्क से छूट'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ख) शर्त (viii) में, परंतुक के पश्चात निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : बशर्ते और भी कि उपर्युक्त किन्हीं भी बातों के बावजूद उक्त प्राधिकार पत्रों में जहां कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की उपधारा (7) और उपधारा (9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और माल एंव सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर से छूट प्राप्त कर ली गई है वहां निर्यात

		दायित्व को केवल भौतिक निर्यात के माध्यम से पूरा किया जाएगा। (ग) शर्त (xii) में ''रक्षोपाय शुल्क, माध्यमिक उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क और प्रतिपूर्ति शुल्क'' शब्दों के स्थान पर ''रक्षोपाय शुल्क, माध्यमिक उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क, प्रतिकारी शुल्क और प्रतिपाटन शुल्क'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ग) शर्त (xii) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा : (xiii) कि उन पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 की धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा (9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर से दी जाने वाले छूट पूर्व आयात की शर्त के अधीन रहेगी। (xiv) कि उन पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा (9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति कर से छूट 31 मार्च, 2018 तक उपलब्ध रहेगी।''
4.	21/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल 2015 [*सा.का.नि. सं.* 257(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, (क) प्रारम्भिक पैराग्राफ में, शब्द, अंक और अक्षर ''उन पर धारा 8ख के अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क और धारा 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क'' के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक ''धारा 8ख के अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क धारा 9 के अंतर्गत लगाए जाने वाले काउंटर वेलिंग शुल्क और धारा 9 के अंतर्गत लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा। (ख) पैराग्राफ 2 में, ''रक्षोपाय शुल्क, माध्यमिक उत्पाद

		विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क और प्रतिपाटन शुल्क'' शब्दों के स्थान पर ''रक्षोपाय शुल्क, माध्यमिक उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क, प्रतिकारी शुल्क और प्रतिपाटन शुल्क'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5.	22/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [*सा.का.नि. सं.* 258 (अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैराग्राफ में,- (क) शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक ''उन पर धारा 3 की उपधारा (1), (3) और (5) के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क, धारा 8ख के अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क और धारा 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण प्रतिपाटन शुल्क से'' के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक ''उन पर धारा 3 की उपधारा (1), (3) और (5) के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क, धारा 3 की उपधारा (7) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर, धारा 3 की उपधारा (9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर, धारा 8ख के अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क, धारा 9 के अंतर्गत लगाई जाने वाली प्रतिकारी शुल्क और धारा 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क से छूट'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ख) शर्त (xii) में, परंतुक के पश्चात निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : ''(xiii) कि उन पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 की धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा (9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति कर से छूट 31 मार्च, 2018 तक उपलब्ध रहेगी।''
6.	45/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2016 [*सा.का.नि. सं.* 795(अ), तारीख 13	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक पैराग्राफ में,- (क) शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक ''उन पर धारा 3 की उपधारा (1), (3) और (5) के अंतर्गत लगाए जाने

	अगस्त, 2016 के द्‌वारा]	वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क, धारा 8ख के अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क और धारा 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क से'' के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक ''उन पर धारा 3 की उपधारा (1), (3) और (5) के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क, धारा 3 की उपधारा (7) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर, धारा 3 की उपधारा (9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर, धारा 8ख के अंतर्गत लगाए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क, धारा 9 के अंतर्गत लगाई जाने वाली प्रतिकारी शुल्क और धारा 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले प्रतिपाटन शुल्क से छूट'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ख) शर्त (ix) में, परंतुक के पश्चात निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : ''(xii) कि उन पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा (9) के अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति कर से छूट 31 मार्च, 2018 तक उपलब्ध रहेगी।''

[फा.सं. 605/ 52/2017-डीबीके]

(आनन्द कुमार झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट :

(1) प्रधान अधिसूचना सं. 16/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. सं. 252 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 26

/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. सं. 727 (अ), दिनांक 29 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

(2) प्रधान अधिसूचना सं. 18/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. सं. 254 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 26 /2017-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. सं. 727 (अ), दिनांक 29 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

(3) प्रधान अधिसूचना सं. 20/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. सं. 256 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 26/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. सं. 727 (अ), दिनांक 29 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

(4) प्रधान अधिसूचना सं. 21/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. सं. 257 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 26/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. सं. 727 (अ), दिनांक 29 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

(5) प्रधान अधिसूचना सं. 22/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. सं. 256 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 26/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. सं. 727 (अ), दिनांक 29 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

(6) प्रधान अधिसूचना सं. 45/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2016 को सा.का.नि. सं. 795 (अ), दिनांक 13 अगस्त, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 26/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. सं. 727 (अ), दिनांक 29 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।